निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12~(1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र



A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी English Capital लेटर मे भरे					
1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी (अनिवार्य)					
2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी (अनिवार्य)					
4. पिता का समग्र आईडी					
5 माता का समग्र आईडी					
3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर (अनिवार्य)					
B.प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर मे भरे					
a) जिला b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरिनगम c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक					
С. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर मे भरे					
1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम					
3) जन्मतिथिDD/MM/YYYY दिनांक माह वर्षवर्ष					
4) लिंग:- बालक / बालिका					
6) Caste- General/OBC/SC/ST					
D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्गः-श्रेणी का कोड दर्ज करें 1.वर्तमान स्थिति मे जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्रामपटटाधारी 6.विकलांग(CWSN) 7. महिला एवं बालविकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथबच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल कंमाक 7,8 को छोड़कर) के संबध मे शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारीप्रमाण पत्र का विवरण (i) क्रमांक					

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम					
(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्कता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मे <u>डिकल वोर</u> ्ड द्वारा जारी प्रमाण					
पत्रानुसार विकंलागता का प्रतिशत%विकंलागता को प्रकार					
(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र					
क्रमांकदिनांक माह प्राप्त का प्रा					
(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण					
बच्चे के माता—पिता / अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र					
Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन कंमाक					
माता-पिता / अभिभावक की मृत्यु दिनांक					
E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी / केजी -1 / केजी -2 / पहली (1)					
F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार हैः-					
स्कूल की प्राथमिक	चयनित स्कूल	10.	आवेदक का भाई / बहिन क्या	यदि कंमाक 4 में यदि विकल्प हॉ चुना जाता है तो क्या पालक इस	
ता क्रमांक	का स्कूल आईडी	क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज	इस स्कूल में अध्ययनरत है यदि	बच्चे को भी इसी स्कूल में	
	(PS)	करें)	हाँ तो टिक करें	निःशुल्क प्रवेश हेतु सहमत है। हॉं / नही	
1	2	3	4	5	
_					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा					
मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त					
जानकारी सही हैं। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है,अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करना/करनी हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिकार विभाग की धारा 12/1/(C) के अंतर्गत किसी भी पाटनेर करन					
करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत					
नि:शुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार					
रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी					
जाये एवं मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही के लिये में जिम्मेदार रहूंगा/रहूँगी।					
आवेदन प्रस	ा्तुत करने का ि	देनांक	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	हस्ताक्षर/अगूॅठे का निशान	
	(माता/पिता/अभिभावक) का नाम				

आवश्यक सूचना-

- 1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है
- 2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
- 3. आनलाइन आवेदन करने के पष्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयाविध में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम,माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी,आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 6. आवेदन पत्र में मोबाइल नबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
- 7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।